न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 39/2022 अपील (राजस्व)

श्री योगेश पिता श्री तुलसीराम ढोली निवासी– गजसिंह जी की बाडी, सज्जन कॉम्पलेक्स, मल्लातलाई, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 विरूद्ध आदेश तहसलीदार मावली दिनांक 29.01.2020 बाबत नामान्तरण संख्या 1541

उपस्थित : श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 31.10.2022

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धुणीमाता, पटवार क्षेत्र नाहरमगरा तहसील मावली में कृषि आराजी संख्या 2026 रकबा 0.2833 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 6900/2026 रकबा 0.4856 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.7689 जिसका रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्रीमती लेहरीबाई पत्नी श्री सवा खटीक को आंवटन हुई थी। तत्समय राजस्व अभिलेखो में श्रीमती लेहरीबाई के नाम अंकित नही होने से लेहरी बाई की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में वाद प्रस्तुत किया जो श्रीमती लेहरीबाई के वारिसान के पक्ष में डिक्री हुआ एवं उक्त डिक्री की पालना में उपरोक्त आराजीयात राजस्व अभिलेखो में वादीगण के नाम दर्ज कर दी गयी। तत्पश्चात वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.2013 से अपीलाण्ट को विक्रय कर कब्जा सपुर्द कर दिया एवं उपरोक्त आराजीयात राजस्व अभिलेखो मे अपीलाण्ट के नाम अंकि हो गयी। इस प्रकार दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

14.10.2013 से ही उपरोक्त आराजीयात पर अपीलाण्ट का बतौर खातेदार निरन्तर निराबाध कब्जा चला आ रहा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली के निर्णय व डिक्री की अपील राजस्थान राज्य द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर मे की गई जो दिनांक 11.07.2016 को माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा खारिज कर दी गयी जिसकी द्वितीय अपील राजस्थान राज्य द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे की गयी जो इस आधार पर स्वीकार की गई कि बीड किस्म की भूमि आंवटित नही की जा सकती। राजस्व मण्डल द्वारा द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत अपीलाण्ट के विरूद्ध अपील स्वीकार की गई क्योंकि विधि में कही पर भी बीड की जमीन को आंवटन की जा सकने बाबत रोक नही है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल रिट प्रकरण संख्या 18675/2019 से दर्ज होकर विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2019 को कब्जा, स्वामित्व एवं रेवेन्यू एन्ट्रीज बाबत यथास्थिति रखने बाबत स्थगनादेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामले को समझा ही नही एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थगनादेश के प्रभावशील रहते हुए भी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार मावली द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1541 दिनांक 29.01.2020 को स्वीकृत कर उक्त आराजीयात को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दिया। अपीलाण्ट को अपीलाधीन नामान्तरकरण बाबत कोई ज्ञान नही था, न ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, न ही तहसीलदार महोदय द्वारा, न ही पटवारी महोदय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त नामान्तरकरण में पारित आदेश के पूर्व कोई सूचना दी गई, न ही अपीलाण्ट को सुना गया, न ही अपीलाण्ट की उपस्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिये आदेश से पूर्णतया आश्वस्त था कि राजस्व रेकर्ड में कोई परिवर्तन नही होगा एवं भूमि अपीलाण्ट के नाम ही दर्ज रहे[illegible]लाण्ट द्वारा अपनी खातेदारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

भूमि को सहेजने के लिये उक्त भूमि के चारो ओर पत्थरगढी की कानूनी कार्यवाही करने हेतु जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर पता चला कि उक्त जमीन बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी गयी है। अपीलाधीन आदेश से स्वीकृत नामान्तरकरण न्याय एवं विधि के अनुकूल नही है। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश से पारित नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे एवं उपरोक्त आराजीयात को पूर्ववत अपीलाण्ट के नाम समस्त राजस्व अभिलेखो में अंकित किये जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करे।

अपने अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थनापत्र धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया। प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली में बहस अपीलाण्ट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम धुणीमाता, पटवार क्षेत्र नाहरमगरा तहसील मावली में कृषि आराजी संख्या 2026 रकबा 0.2833 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 6900/2026 रकबा 0.4856 हेक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.7689 जिसका रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि श्रीमती लेहरीबाई पत्नी श्री सवा खटीक को आंवटन हुई थी। राजस्व अभिलेखो में श्रीमती लेहरीबाई के नाम अंकित नही होने से लेहरी बाई की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली में वाद प्रस्तुत किया जो श्रीमती लेहरीबाई के वारिसान के पक्ष में डिक्री हुआ एवं उक्त डिक्री की पालना में उपरोक्त आराजीयात राजस्व अभिलेखो में वादीगण के नाम दर्ज की गयी। तत्पश्चात वादीगण द्वारा उक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.10.2013 से अपीलाण्ट को विक्रय कर देने से उक्त भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज हो गयी। तब से उक्त आराजीयात पर अपीलाण्ट का बतौर खातेदार निरन्तर निराबाध कब्जा चला आ रहा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली के निर्णय व डिक्री की अपील राजस्थान राज्य द्वारा न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उद[illegible]की गई जो दिनांक 11.07.2016

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

को माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा खारिज कर दी गयी जिसकी द्वितीय अपील राजस्थान राज्य द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे की गयी। राजस्व मण्डल ने अपील इस आधार पर स्वीकार की कि बीड किस्म की भूमि आंवटित नही की जा सकती। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल रिट दायर कर स्थगन प्राप्त किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2019 को कब्जा, स्वामित्व एवं रेवेन्यू एन्ट्रीज बाबत यथास्थिति रखने बाबत स्थगनादेश पारित किया गया। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थगनादेश के प्रभावशील रहते हुए भी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार मावली द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1541 दिनांक 29.01.2020 को स्वीकृत कर उक्त आराजीयात को बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश से पारित नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे एवं उपरोक्त आराजीयात को पूर्ववत अपीलाण्ट के नाम समस्त राजस्व अभिलेखो में अंकित किये जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करे।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपीलाण्ट की भूमि की किस्म बीड़ होने से भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2016 एवं उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2012 को अपास्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 28.11.2019 पर स्थगन की जानकारी तहसीलदार मावली को नहीं होने से तहसीलदार मावली द्वारा उक्त भूमि आराजी संख्या 2600 एवं 6900/2026 को ग्राम धुणीमाता के नामान्तरकरण संख्या 1541 दिनांक 29.01.2020 से बिलानाम दर्ज करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के स्थ[illegible] जानकारी प्राप्त हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि तहसीलदार मावली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1541 दिनांक 29.01.2020 को निर्णित किया गया उस दिन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर को स्थगन प्रभावी थी। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार मावली को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधुपर के स्थगन आदेश दिनांक 19.12.2019 के अनुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही कर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना सुनिश्चित करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:15:05 IST
Reason: SelfAttested